रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102026-277465
CG-DL-E-28102026-277465

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5594] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2026/कार्तिक 5, 1948
No. 5594] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2026/KARTIKA 5, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5819(अ).— केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 2916 (अ) तारीख 08/06/2026 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में एनएच-135बीडी सिरमौर - कलवारी खंड के (कि.मी. 0+000 से कि.मी. 35+920) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, रखरखाव, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 06 जुलाई 2026 को "विप्र एक्सप्रेस" एवं "द हितवादा" दोनों में प्रकाशित किया गया है;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को 3ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई हैं, जिस पर विचार किया गया हैं और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी

रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जायेगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में एनएच-135बीडी सिरमौर - कलवारी खंड के (कि.मी. 25+760 से कि.मी. 28+000) तक के लिए भू-अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: रीवा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मनगवां					
गांव का नाम: बाँस					
1	206	निजी	कृषि	0.0088	(206/2) मो. उमर पिता अब्दुलवहार बेहना,
2	207	निजी	कृषि	0.0091	मोहम्मद इस्लाम पत्नी अब्दुल रहिमान, मो. इस्ताक पिता मो. इस्लाम, मुस्ताक अली पिता मो. इस्लाम, मो. मुमताज पिता मो. इस्लाम, मो. आशिक पिता मो. इस्लाम, मो.इस्लाम पिता अब्दुल रहीमान वेहना, सरताज अली पिता मोहइयतदीन, अरमान अली पिता मोहइयतदीन,
			Total	0.0179	

[फा. सं. CE-ROBPL/30010/103/25-26/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

S.O. 5819(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, vide S.O. 2916(E) Dated 08.06.2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (here in

after referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Development, Maintenance, Management and Operation of rehabilitation /upgradation/widening to 2 laning with paved shoulders of NH-135BD Stretch Sirmour - Kalwari Section (Chainage km 0+000 to km 35+920) in the State of Madhya Pradesh., hereby declares its intention to acquire such land;

And whereas the substance of the said notification has been published in **"Wipra Express"** and **"The Hitavada"** both dated **6th July 2026;** under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from design of NH-135BD Stretch Sirmour-Kalwari Section (Chainage km 25+760 to km 28+000) of district Rewa in the State of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			**District: REWA**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Mangawan					
Village: Bans					
1	206	Private	Agriculture	0.0088	(206/2) Mo. Umar S/o. Abdulvahar Behna,
2	207	Private	Agriculture	0.0091	Mohammad Islam W/o. Abdul Rahiman, Mo. Istak S/o. Mo. Islam, Mustak Ali S/o. Mo. Islam, Mo. Mumtaj S/o. Mo. Islam, Mo. Ashik S/o. Mo. Islam, Mo. Islam S/o. Abdul Rahiman Vehna, Sartaj Ali S/o. Mohaiyatdeen, Arman Ali S/o. Mohaiyatdeen,
			Total	**0.0179**	

[F. No. CE-ROBPL/30010/103/25-26/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.10.28 15:44:59 +05'30'